बिहार सरकार
मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
अधिसूचना

पटना, दिनांक–03.09.25

एस0ओ0सं0–1/एम1/190/2005 5161 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा–9 की उप–धारा (1) के खण्ड 'क' के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 समय–समय पर यथा संशोधित, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तथा मंत्रिपरिषद द्वारा समय–समय पर अनुमोदित अन्य समतुल्य नीतियों के तहत उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित औद्योगिक इकाइयों के लिए निम्नलिखित वर्ग के दस्तावेजों पर उसके सामने दर्शायी गयी सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट स्वीकृत की जाती है–

क्र0 सं0	दस्तावेजों के प्रकार एवं विवरण	स्टाम्प शुल्क में स्वीकृत की गयी छूट
1.	आई0डी0ए0/बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में।	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%)
2.	औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/बिक्री/अंतरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में।	प्रभावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%)

2. उक्त मदों में छूट प्राप्त करने वाले औद्योगिक इकाई जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अधीन गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (State Investment Promotion Board) से स्टेज–1 क्लियरेंस प्राप्त किया हो, के संबंध में यह प्रस्तावित प्रावधान लागू होगा।
3. नई इकाईयों को ही यह सुविधा देय होगी।
4. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्री/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा एवं पश्चात्वर्ती चरणों में यह लागू नहीं होगा।
5. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार–पत्र पर दी जायेगी।
6. उपर्युक्त छूट का यदि निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो दी गयी छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जायेगी।
7. उपर्युक्त छूट दिनांक–01.04.2025 से नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अधिसूचित होने तक प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

एस.ओ.सं01/एम1/190/2005 5161

पटना, दिनांक–03.09.25

प्रतिलिपिः– उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

Government of Bihar

Department of Prohibition, Excise & Registration

(Registration)

NOTIFICATION

Patna, Dated: 03.09.25

S.O.No.-I/M1-190/2025 5161 In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899, stamp duty is exempted by the Governor of Bihar under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors as amended from time to time, Ethanol Production Promotion Policy, 2021 Oxygen production Promotion Policy, 2021 and other similar policies approved by the Cabinet from time to time on the High Priority Sector Industrial units of the following class of doucuments up to the limits as shown against them.

Sl. no	Type of documents & description	Exemption sanctioned in the Stamp duty
1	The Stamp Duty for Registering deeds related to land allotted to IDA/BIADA by the government	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.
2	The Stamp duty for Registering deeds related to lease/purchase/transfer of industrial plots/shed and land outside Industrial Area Development Authority for establishing industries by the private investors.	100% (Hundred percent) exemption on the effective rate.

2. The Proposed provision of exemption is applicable in respect of industrial units which have obtained Stage-1 clearance from the State Investment Promotion Board constituted under the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.
3. The exemption shall be available to new units only.
4. The exemption shall be permitted on the first transaction and will not be applicable in subsequent stages on the documents of the lease/sale/transfer.
5. The above exemption shall be permitted on and authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Industries with details of land and its location.
6. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do not follow in to prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.
7. The above exemption will remain effective from Date-01.04.2025 till the Notification of New Industrial Investment Promotion Policy.

By the Order of the Governor of Bihar,

(Ajay Yadav)
Secretary to the Government

ज्ञापांक– 1/एम1/190/2005 – 5161 पटना, दिनांक– 03.09.25

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–800007 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि एवं गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाए।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/एम1/190/2005 – 5161 पटना, दिनांक– 03.09.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1/एम1/190/2005 – 5161 पटना, दिनांक– 03.09.25

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/कोषागार पदाधिकारी (सभी) एवं अवर निबंधक (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।